



**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)**  
**Ministry of Environment, Forest and Climate Change**  
**Regional Office (Central Region)**



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/59/2016/एफ.सी। 270

दिनांक: 29-8-16

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण)  
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**विषय:** जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 लखनऊ-सीतापुर मार्ग के किमी० 482.00 से 488.75 तक दोनों तरफ साइकिल ट्रैक के निर्माण में प्रभावित 4.8 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

**सन्दर्भ :** मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- 182/20045/2016, दिनांक- 29.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक- 2809/11सी-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/20045/2016, दिनांक- 30.06.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 लखनऊ-सीतापुर मार्ग के किमी० 482.00 से 488.75 तक दोनों तरफ साइकिल ट्रैक के निर्माण में प्रभावित 4.8 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (4.8 ha x 2= 9.60ha.) अर्थात् 9.60 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- (ख) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25230, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, में जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि की ई-प्राप्ति की रसीद/चेक/आर०टी०जी०एस०/एन०एफ०टी० (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

*[Signature]*  
दिनांक 29/8/16

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

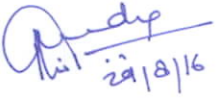
उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक(के.)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ, उ0 प्र0।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

  
(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक(के.)